

पत्र संख्या-आई0टी0/ विभागीय माड्यूल -2022-23/

465

/ राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक जून, 24, 2022

समस्त अपर आयुक्त, ग्रेड-1

राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि फील्ड स्तर के राज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त तथा उपायुक्त द्वारा विभागीय माड्यूल में Data Deletion, Data Updation तथा अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु, बिना अपने उच्चाधिकारी के अनुमोदन के, सीधे आई0टी0 अनुभाग को पत्र/ई-मेल प्रेषित किये जा रहे हैं। जबकि अधिकांश मामलों में निराकरण जोन स्तर पर ही किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है जो कि उचित नहीं है।

अतः आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि विभागीय माड्यूल में Data Deletion, Data Updation तथा अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु पत्र सीधे आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित नहीं किया जाये। समस्याओं के निराकरण हेतु पत्र कम से कम संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा सीधे सम्बन्धित अनुभाग को प्रेषित किया जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

*mshe*  
24/06/2022

(सुधा वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।